International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
An International Quarterly bi-lingual Multidisciplinary Double Blind Open Access Peer Reviewed Refereed Journal
ISSN: 2581-9925, Impact Factor (Cosmos: 7.555 & I2OR: 5.105), Volume 08, No. 03(I), July-September, 2026, pp. 41-50

परंपरा से परिवर्तन तकः लद्दाख की सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संरचना का समकालीन अध्ययन

Randheer Meena[1*] | Indraj Mal Yadav[2]

[1]Research Scholar, Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar, Rajasthan, India.
[2]Professor, Department of Political Science, SNKP Government College, Neem ka Thana, Sikar, Rajasthan, India.

[*]Corresponding Author: rdmeenajmd@gmail.com

Citation: Meena, R. & Yadav, I. (2026). परंपरा से परिवर्तन तकः लद्दाख की सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संरचना का समकालीन अध्ययन. International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science, 08(03(I)), 41–50. https://doi.org/10.62823/IJEMMASSS/8.3(I).9199

सार

लद्दाख, जो हिमालय की ऊँची और दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा है, भारत के सबसे विशिष्ट भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में से एक है। पारंपरिक रूप से यह क्षेत्र बौद्ध और मुस्लिम समुदायों के शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व का प्रतीक रहा है जहाँ लगभग 66.40% जनसंख्या बौद्ध और लगभग 14% मुस्लिम है। लद्दाख की सामाजिक संरचना स्थानीय सामुदायिक संस्थाओं, मठों, और पारंपरिक ग्राम परिषदों पर आधारित है जिन्होंने सदियों से सामाजिक जीवन का संचालन किया है। 5 अगस्त 2019 भारत के संवैधानिक इतिहास में एक निर्णायक तिथि रही, जब अनुच्छेद 370 और 35। के निरस्तीकरण के साथ जम्मू–कश्मीर को दो केन्द्रशासित प्रदेशों जम्मू–कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। इससे लद्दाख को एक अलग प्रशासनिक पहचान मिली, परंतु राज्य की शक्तियों और विधायी अधिकारों की सीमितता ने नई राजनीतिक बहस को जन्म दिया। लद्दाख की जनभावना अब विशेष संवैधानिक दर्जे की मांग पर केंद्रित है, जैसे अनुच्छेद 371 के अनुरूप प्रावधान, ताकि स्थानीय जनजातीय और पारंपरिक हितों को सुरक्षा मिल सके। आर्थिक दृष्टि से, लद्दाख की अर्थव्यवस्था मुख्यतः पारंपरिक पशुपालन, ऊन और पश्मीना उद्योग, तथा पर्यटन पर निर्भर रही है। केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद बुनियादी ढांचे में निवेश और पर्यटन में वृद्धि तो हुई, लेकिन पर्यावरणीय दबाव, संसाधनों के असमान वितरण और स्थानीय निर्णय प्रक्रिया से दूरी जैसी चुनौतियाँ सामने आई हैं। राजनीतिक रूप से, 1989 से चली आ रही स्वायत्तता की मांग अब "राज्य का दर्जा" प्राप्त करने की आकांक्षा में परिवर्तित हो चुकी है। यह शोध–पत्र इस ऐतिहासिक यात्रा और वर्तमान तनावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है जहाँ एक ओर लद्दाख अपनी विशिष्ट पहचान और पारिस्थितिक संतुलन को संरक्षित रखना चाहता है, वहीं दूसरी ओर वह लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और आत्मशासन की व्यापक मांग भी कर रहा है।.

शब्दकोशः *सामाजिक–सांस्कृतिक, राजनीतिक संरचना, समकालीन अध्ययन, पश्मीना उद्योग, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व।*

प्रस्तावना

लद्दाख, जिसे प्रायः ''ऊंचे दर्रों की भूमि'' कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी छोर पर स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जो अपनी भौगोलिक कठिनाइयों, सामरिक महत्व और सांस्कृतिक विविधता के कारण विशिष्ट

[*] *Copyright © 2026 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

पहचान रखता है। लगभग 59,146 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला यह प्रदेश औसतन 11,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ का तापमान सर्दियों में अक्सर –40 ब तक गिर जाता है, जिससे यह भारत के सर्वाधिक कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में शामिल हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार लद्दाख की कुल जनसंख्या लगभग 2.74 लाख दर्ज की गई, जो मुख्यतः दो जिलों लेह और कारगिल में विभाजित हैय लेह जिला बौद्ध बहुल है, जबकि कारगिल में मुख्यतः मुस्लिम आबादी निवास करती है [1]।

धार्मिक–सांस्कृतिक दृष्टि से लद्दाख की सामाजिक संरचना अत्यंत विविधतापूर्ण होते हुए भी सह–अस्तित्व और सहिष्णुता की परंपरा पर आधारित है। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म प्रमुख है और विभिन्न स्रोतों के अनुसार यहाँ लगभग तीन–चौथाई आबादी बौद्ध मानी जाती है, जबकि मुस्लिम समुदाय जिसमें सुन्नी, शिया तथा नूरबख्शी परंपराएँ शामिल हैं दूसरा बड़ा समूह बनाता हैय शेष आबादी में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय सम्मिलित हैं। लद्दाख में बौद्ध धर्म की उपस्थिति केवल धार्मिक विश्वास तक सीमित नहीं, बल्कि मठों, गोम्पाओं, उत्सवों और सांस्कृतिक अनुष्ठानों के माध्यम से सामाजिक–राजनीतिक जीवन को भी गहरे रूप से प्रभावित करती है [2]।

ऐतिहासिक रूप से लद्दाख तिब्बती बौद्ध सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जहाँ महायान और वज्रयान परंपराओं का विकास हुआ और निंगमा, काग्यूड, शाक्य तथा गेलुक जैसी चार प्रमुख बौद्ध परंपराएँ संस्थागत रूप से स्थापित हुईं। इन परंपराओं ने न केवल धार्मिक जीवन को आकार दिया बल्कि शिक्षा, कला, वास्तुकला और न्याय–नैतिकता के स्थानीय मानदंडों को भी प्रभावित किया ख्3,। मध्यकाल में लद्दाख में इस्लाम का प्रवेश 14वीं शताब्दी के आसपास व्यापार, सूफी संतों और कश्मीरी प्रभाव के माध्यम से हुआ, जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से कारगिल एवं आसपास के क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी विकसित हुई और नूरबख्शिया जैसी विशिष्ट संप्रदायिक परंपराएँ उभरीं। यह बहु–धार्मिक विकास लद्दाख को एक ऐसे सीमांत क्षेत्र के रूप में स्थापित करता है जहाँ तिब्बती, मध्य–एशियाई और कश्मीरी प्रभाव का संगम दिखाई देता है।

औपनिवेशिक पूर्व और औपनिवेशिक काल में लद्दाख की राजनीतिक यात्रा भी उतनी ही जटिल रही है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सिख साम्राज्य के विस्तार के साथ 1830 के दशक में इस क्षेत्र पर लाहौर दरबार का नियंत्रण स्थापित हुआ, जिसके बाद 1846 की अमृतसर संधि के माध्यम से लद्दाख डोगरा शासक गुलाब सिंह की अधीनस्थ जम्मू–कश्मीर रियासत का हिस्सा बना [4]। इस प्रकार लद्दाख एक स्वतंत्र सीमांत राज्य से बदलकर एक बड़ी बहु–राष्ट्रीय रियासत के अधीन क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हुआ, जहाँ स्थानीय स्वायत्त परंपराओं और बाहरी सत्ता के बीच संतुलन की चुनौती उभरी।

1947 में भारत की स्वतंत्रता और जम्मू–कश्मीर के भारत में विलय के पश्चात लद्दाख विधिवत जम्मू–कश्मीर राज्य का अंग बना। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के तहत जम्मू–कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा प्राप्त था, और लद्दाख उसी व्यवस्था के भीतर एक विशिष्ट सांस्कृतिक–भौगोलिक इकाई के रूप में विद्यमान रहा। 1962 के भारत–चीन युद्ध, 1971 के भारत–पाकिस्तान युद्ध और 1999 के कारगिल संघर्ष ने इस क्षेत्र के सामरिक महत्व को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील बना दिया, जबकि 2020 की गलवान घाटी की झड़पों ने चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को और स्पष्ट किया। इन घटनाओं ने लद्दाख को केवल सीमांत क्षेत्र नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा–विचार में केंद्रीय स्थान प्रदान किया [5]।

5 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 और 35। के निरस्तीकरण तथा जम्मू–कश्मीर के पुनर्गठन का निर्णय लद्दाख की राजनीतिक–प्रशासनिक संरचना में एक ऐतिहासिक मोड़ सिद्ध हुआ। इस निर्णय के तहत जम्मू–कश्मीर राज्य को दो अलग–अलग केन्द्रशासित प्रदेशों जैसे जम्मू–कश्मीर (विधानसभा सहित) और लद्दाख (बिना विधायिका) में विभाजित किया गया, जो 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ। लद्दाख को पृथक केन्द्रशासित प्रदेश का दर्जा मिलने से एक ओर तो प्रशासनिक पहचान, संसाधन आवंटन और सीधे केंद्र शासन के अवसर बढ़े, वहीं दूसरी ओर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, भूमि और रोजगार पर स्थानीय नियंत्रण, तथा सांस्कृ

तिक–पर्यावरणीय संरक्षण से जुड़े नए प्रश्न भी सामने आए [6]। यह शोध–पत्र लद्दाख की इसी बहुस्तरीय यात्रा जैसे पारंपरिक सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना, सामरिक–सुरक्षात्मक संदर्भ, औपनिवेशिक और उत्तर–औपनिवेशिक शासन व्यवस्थाएँ, तथा 2019 के पश्चात उभरी नई प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौतियाँ का समग्र और आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि किस प्रकार ''ऊंचे दर्रों की भूमि'' के रूप में प्रसिद्ध यह क्षेत्र आज विशिष्ट पहचान, संवैधानिक संरक्षण और लोकतांत्रिक आत्मशासन के बीच संतुलन स्थापित करने की जटिल प्रक्रिया से गुजर रहा है [7]।

सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना और परिवर्तन

लद्दाख की सामाजिक संरचना मूलतः धार्मिक विविधता, पारंपरिक सामुदायिक संस्थाओं और कठोर पर्वतीय पर्यावरण के अनुरूप विकसित जीवन शैली पर आधारित है। लेह जिला मुख्यतः तिब्बती बौद्ध आबादी वाला है, जबकि कारगिल में शिया मुस्लिम बहुल समुदाय निवास करता है, जिनके बीच ऐतिहासिक रूप से सह–अस्तित्व, सहयोग और पड़ोसी संबंधों की परंपरा दिखाई देती है। यद्यपि 1980 के दशक के उत्तरार्ध में, विशेषकर 1989 के आसपास, केन्द्रशासित प्रदेश की मांग और प्रतिनिधित्व के मुद्दों को लेकर बौद्ध–मुस्लिम संबंधों में तनाव के चरण भी सामने आए, फिर भी स्थानीय समाज ने दीर्घकालिक रूप से सह–अस्तित्व और व्यावहारिक सहकार की राह ही चुनी।

धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन

लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान का मूल आधार तिब्बती बौद्ध परंपरा है, जो केवल धार्मिक आस्था तक सीमित न होकर सामाजिक, शैक्षिक और कलात्मक जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। हेमिस, थिकसे, अल्ची, लामायुरु और डिस्कित जैसे गोम्पा (मठ) धार्मिक अनुष्ठान, शिक्षा, कला–संरक्षण और सामुदायिक निर्णय प्रक्रिया के केंद्र के रूप में कार्य करते हैंय यहाँ थांगका पेंटिंग, मूर्तिकला, पारंपरिक चिकित्सा (अमची), तथा ज्योतिष जैसी विद्या पीढ़ी–दर–पीढ़ी संरक्षित की जाती हैं। बौद्ध त्योहारों में हेमिस महोत्सव, विभिन्न गोम्पाओं के गुस्तोर उत्सव, लोसर (नववर्ष) और दोस्मोचे प्रमुख हैं, जिनमें मुखौटा नृत्य (चाम), धार्मिक जुलूस, और सामुदायिक भोज के माध्यम से सामूहिक पहचान की पुनर्पुष्टि होती है। मुस्लिम समुदाय विशेषकर कारगिल क्षेत्र में मुहर्रम, ईदुल–फित्र, ईदुल–अजहा और अन्य इस्लामी पर्वों को बड़े उत्साह के साथ मनाता है, जिनमें मजलिस, जुलूस, सामूहिक इबादत और सामाजिक मेलजोल के आयाम महत्वपूर्ण हैं। कई कस्बों और बाजार क्षेत्रों में देखा गया है कि बौद्ध और मुस्लिम दोनों समुदाय एक–दूसरे के पर्वों के अवसर पर परस्पर भागीदारी और सद्भाव प्रदर्शित करते हैं, जिससे सहिष्णुता, परस्पर सम्मान और साझा की परतें और मजबूत होती हैं।

सामाजिक संगठन और पारंपरिक संस्थाएँ

लद्दाख की पारंपरिक सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था कृषि, पशुपालन और सीमित संसाधनों के सामुदायिक प्रबंधन पर आधारित रही है। अत्यंत शुष्क और ठंडे मरुस्थलीय वातावरण में जल, भूमि और श्रम के कुशल उपयोग के लिए गाँव स्तर पर सहयोगी संस्थाएँ विकसित हुईं, जैसे फास्फुन जैसी सामूहिक समूह व्यवस्था, जिसमें अनेक परिवार एक–दूसरे की खेती, घर–निर्माण, पशुपालन और संकट की घड़ी में सहयोग के लिए संगठित रहते हैं[8] । जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए चुरपोन (जल वितरण प्रभारी), गोबा (ग्राम प्रधान), तथा अन्य पारंपरिक पदों की मान्यता रही है, जो सिंचाई नहरों की बारी, मरम्मत और जल–वितरण के नियमों को सामूहिक रूप से लागू कराते हैं। महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत सशक्त मानी जाती हैय वे खेतिहर कार्य, पशुपालन, ऊन–कताई, बुनाई, खाद्य–संग्रहण और घरेलू निर्णयों में सक्रिय भागीदारी निभाती हैं। ऐतिहासिक रूप से लद्दाख के कई हिस्सों में भ्रातृ बहुपति प्रथा (fraternal polyandry) प्रचलित रही, जिसमें भूमि के विखंडन को रोकने और परिवार की आर्थिक एकता बनाए रखने के उद्देश्य से एक ही पत्नी से भाइयों का विवाह कराया जाता थाय यह व्यवस्था कठोर पर्यावरणीय स्थितियों में जीविका–सुरक्षा और संसाधन संरक्षण की रणनीति का हिस्सा

थी [9]। आधुनिक शिक्षा, बाजार अर्थव्यवस्था, सैन्य और पर्यटन रोजगार के प्रसार के साथ यह प्रथा तेजी से क्षीण हुई है और अब सीमित क्षेत्रों में ही विरले रूप में दिखाई देती है।

भाषा, पहचान और समकालीन चुनौतियाँ

लद्दाख की भाषिक पहचान मुख्यतः लद्दाखीध्भोटी भाषा से जुड़ी है, जो तिब्बती–बर्मन भाषा–परिवार की एक शाखा मानी जाती है और अलग–अलग घाटियों में इसके कई उपभाषिक रूप पाए जाते हैं। परंतु औपचारिक शिक्षा और प्रशासनिक कामकाज में उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी की बढ़ती भूमिका ने स्थानीय भाषा–शिक्षा और लिपि–परंपरा के संरक्षण के सामने नई चुनौतियाँ उपस्थित की हैंय कई शोधों में यह चिंता व्यक्त की गई है कि शहरी और शिक्षित युवाओं में लद्दाखी लिखित–अभिव्यक्ति की क्षमता घट रही है [10]। आधुनिकीकरण, सड़क व संचार नेटवर्क का विस्तार, और विशेष रूप से 1990 के दशक के बाद से पर्यटन उद्योग की तीव्र वृद्धि ने लद्दाख की सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाला है। पर्यटन ने स्थानीय लोगों को आवास, परिवहन, गाइड सेवा, हस्तशिल्प और अन्य क्षेत्रों में नए आजीविका अवसर दिए हैं, किंतु साथ ही ठोस अपशिष्ट, जल संकट, पारंपरिक वास्तुकला के क्षरण और "संस्कृतिकरण" (culture commodification) जैसी समस्याएँ भी बढ़ी हैं, जहाँ लोक–उत्सव और अनुष्ठान पर्यटकीय प्रदर्शन में बदलने का जोखिम झेलते हैं [11]A युवा पीढ़ी का उच्च शिक्षा और नौकरी के लिए लेह, जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली तथा अन्य महानगरों की ओर पलायन कई दूरस्थ गाँवों में श्रम–बल की कमी, वृद्ध आबादी की बढ़ती हिस्सेदारी, और पारंपरिक ज्ञान के अंतरण में अवरोध जैसी स्थितियाँ पैदा कर रहा है।

सांस्कृतिक संरक्षण और स्थानीय पहल

इन चुनौतियों के बीच लद्दाख में अनेक संगठन और स्थानीय पहलें पारंपरिक ज्ञान, टिकाऊ विकास और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दिशा में सक्रिय हैं। Ladakh Ecological Development Group (LEDeG) जैसे संगठन पर्यावरण–संतुलित आजीविका, जल प्रबंधन, पारंपरिक वास्तुकला और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देते हैं, ताकि विकास और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके [12]A Students Educational and Cultural Movement of Ladakh (SECMOL) ने 1988 से शिक्षा–व्यवस्था में स्थानीय सन्दर्भ, लद्दाखी भाषा, सौर ऊर्जा आधारित जीवन–शैली और "सीख कर करना" (learning by doing) के सिद्धांत पर आधारित वैकल्पिक शिक्षा मॉडल विकसित किए हैंय इसका परिसर स्वयं पर्यावरण–अनुकूल भवनों, सौर ताप और छात्र–संचालित प्रबंधन का उदाहरण है [13]A इस प्रकार, लद्दाख की सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना आज निरंतर परिवर्तनशील द्वंद्व के बीच खड़ी है जैसे एक ओर सदियों पुरानी बौद्ध–मुस्लिम सहअस्तित्व, सामूहिक संसाधन प्रबंधन और स्थानीय संस्थाओं की धरोहर, और दूसरी ओर वैश्वीकरण, पर्यटन, बाजार अर्थव्यवस्था तथा राज्य–नीतियों से उपजी नई आकांक्षाएँ और दबाव। यह शोध–खंड इन्हीं निरंतरताओं और परिवर्तनों का विश्लेषणात्मक पाठ प्रदान करते हुए यह समझने का प्रयास करता है कि लद्दाखी समाज अपनी विशिष्ट पहचान को बचाए रखते हुए समकालीन आधुनिकता से किस प्रकार संवाद स्थापित कर रहा है [14]।

आर्थिक संरचना और विकास प्रक्रिया

लद्दाख की अर्थव्यवस्था पारंपरिक कृषि, पशुपालन और सीमांत व्यापार पर आधारित रही है, जो कठोर हिमालयी मरुस्थलीय जलवायु, सीमित कृषि योग्य भूमि (कुल क्षेत्रफल का मात्र 1% से कम) तथा मौसमी बाधाओं के अनुकूल विकसित हुई [15]A यहाँ की कृषि मुख्यतः जौ, गेहूँ, मटर, आलू और सेब जैसी ठंडे इलाकों की फसलों पर केंद्रित रही, किंतु खुबानी (एप्रिकॉट) लद्दाख की आर्थिक पहचान बन चुकी है। विभिन्न सरकारी रिपोर्टों के अनुसार लगभग 30,000 परिवार खुबानी की खेती से जुड़े हैं, जिसमें से 6,000 से अधिक किसान परिवार इसके उत्पादन, प्रसंस्करण (सूखी खुबानी) और विपणन से जीविका चला रहे हैंय यह फसल न केवल स्थानीय बाजारों में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी निर्यात योग्य है।

पशुपालन और पारंपरिक उद्योग

पशुपालन लद्दाख की अर्थव्यवस्था का दूसरा प्रमुख आधार है, जहाँ याक, जो (याक–गाय संकर), भेड़–बकरी प्रमुख पशु हैं। विशेष रूप से चांगथांगी बकरी से प्राप्त पश्मीना ऊन विश्वविख्यात है, जो अत्यंत बारीक रेशमी फाइबर के लिए प्रसिद्ध है। चांगथांग क्षेत्र में लगभग 2 लाख चांगथांगी बकरियाँ पाली जाती हैं, जो प्रतिवर्ष 35,000 से 50,000 किलोग्राम कच्चा पश्मीना उत्पादित करती हैंय इससे 10,000 से अधिक खानाबदोश चरवाहे परिवार और कारीगर जीविका कमाते हैं [16]A पश्मीना के अतिरिक्त ऊन से नमदा (ऊनी कालीन), शॉल और अन्य हस्तशिल्प भी तैयार होते हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं।

पर्यटन का उदय और प्रभाव

1974 में विदेशी पर्यटकों के लिए खोले जाने के बाद पर्यटन लद्दाख की अर्थव्यवस्था का प्रमुख इंजन बन गया है। लेह शहर, नुब्रा घाटी, पैंगोंग त्सो झील, त्सो मोरीरी, जांस्कर घाटी तथा कारगिल जैसे स्थल साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन और पारिस्थितिक पर्यटन के केंद्र हैं। पर्यटन क्षेत्र क्षेत्रीय जीडीपी में 10ः से 50ः तक योगदान देता है (अध्ययन के अनुसार भिन्नता), तथा 25,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार (गाइड, होमस्टे, परिवहन, हस्तशिल्प) और लाखों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। 2019 से पूर्व पर्यटक आगमन 2. 8 लाख से बढ़कर 2022 में 5.31 लाख हो गया, जो घरेलू पर्यटकों की वृद्धि को दर्शाता है [17]A हालाँकि, पर्यटन की मौसमी प्रकृति (मई–सितंबर), अनियोजित वृद्धि से पर्यावरणीय क्षति (कचरा, जल प्रदूषण), यातायात भीड़, जल संकट और सांस्कृतिक विकृति जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। इको–टूरिज्म, क्षमता–आधारित पर्यटन और स्थानीय समुदाय भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है।

पारंपरिक शिल्प, हस्तशिल्प और नीतिगत प्रोत्साहन

लद्दाख के पारंपरिक शिल्प जैसे पश्मीना बुनाई, नमदा कालीन, लकड़ी के हस्तशिल्प, थांगका चित्रकला और हर्बल उत्पाद (सी बकथॉर्न, हर्बल चाय) अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिष्ठित हैं। सितंबर 2025 में GST 2.0 सुधारों के तहत पश्मीना, नमदा, लकड़ी के शिल्प और होटल/होमस्टे (₹7,500/रात्रि तक) पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई, जिससे उत्पादन लागत घटी, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी और 25,000 से अधिक कारीगरोंध्पर्यटन कर्मियों को राहत मिली। शाम घाटी और कारगिल में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है, जहाँ सूखी सब्जियाँ, हर्बल उत्पाद और जैविक अनाज का उत्पादन हो रहा है [18]A

2019 के पश्चात विकास प्रक्रिया

अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण और केन्द्रशासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख को विशेष विकास पैकेज प्राप्त हुए। बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जैसे 2020–21 में ₹59.59 करोड़ से बढ़कर 2022–23 में ₹531 करोड़ (कुल ₹5,958 करोड़ तक 2024–25 में), तथा 2025–26 के लिए ₹6,000 करोड़ (जीडीपी का लगभग 27%) आवंटित। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत 1,000 किमी से अधिक ग्रामीण सड़कें निर्मित हुईं, जिससे कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव आया [19]A शिक्षा–स्वास्थ्य क्षेत्र में IIT लद्दाख (2022), AIIMS लद्दाख, कौशल विकास केंद्र और आईआईटीएम (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मिशन) की स्थापना हुई। नवीकरणीय ऊर्जा में लद्दाख अग्रणी हैय 10–13 जीडब्ल्यू सौर–पवन क्षमता का विकास प्रस्तावित है, जिसमें चांगथांग–पांग क्षेत्र में 10 जीडब्ल्यू सौर परियोजना प्रमुख है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण–2 के तहत ₹20,700 करोड़ (केंद्र सहायता ₹8,300 करोड़) का निवेश हो रहा है, जो 2029–30 तक पूर्ण होगा। यह परियोजना न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता देगी बल्कि रोजगार और कार्बन न्यूट्रल लक्ष्यों को भी बढ़ावा।

आर्थिक चुनौतियाँ और भविष्य दृष्टि

लद्दाख के आर्थिक विकास की प्रमुख बाधाएँ सीमित संसाधन (भूमि, जल), उच्च परिवहन लागत, मौसमी रोजगार, युवा पलायन और जलवायु परिवर्तन (पश्मीना बकरियों पर हानि) हैं। कृषि उत्पादकता के लिए आधुनिक

सिंचाई, बीज–तकनीक और भंडारण आवश्यक हैय पर्यटन को वर्ष–भर फैलाने हेतु सर्दी पर्यटन विकसित करना होगा। आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप विविधीकरण जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक कृषि, हस्तशिल्प निर्यात, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर जोर है [20]A $10 अरब अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पर्यटन, बुनियादी ढांचा और स्वच्छ ऊर्जा से प्राप्त करने योग्य है। यह शोध–खंड दर्शाता है कि लद्दाख पारंपरिक आर्थिक ढाँचे को आधुनिक विकास के साथ संतुलित करते हुए टिकाऊ प्रगति की ओर अग्रसर है।

राजनीतिक इतिहास और स्वायत्तता की मांग

लद्दाख की राजनीतिक यात्रा स्वतंत्र भारत के संदर्भ में क्षेत्रीय पहचान, सांस्कृतिक संरक्षण और प्रशासनिक स्वायत्तता की निरंतर खोज की कहानी रही है। 1947 में जम्मू–कश्मीर के भारत में विलय के बाद लद्दाख राज्य का अभिन्न अंग बना, किंतु कश्मीर–केंद्रित राजनीति, भाषाई–धार्मिक भिन्नताओं और विकासात्मक उपेक्षा ने यहाँ असंतोष को जन्म दिया। कश्मीरी मुस्लिम बहुल प्रशासन ने लद्दाखी भाषा (भोटी/लद्दाखी) को शिक्षा और सरकारी कार्यालयों में हाशिए पर धकेल दिया, जबकि बौद्ध समुदाय के रोजगार प्रतिनिधित्व और विकास बजट में भेदभाव की शिकायतें आम थीं। 1950–60 के दशक में लद्दाख बौद्ध संघ (Ladakh Buddhist Association – LBA) की स्थापना हुई, जो बौद्ध समुदाय के धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए सक्रिय हुई [21]A LBA ने जम्मू–कश्मीर सरकार की कश्मीरी–प्रधान नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई, जिसमें लद्दाखी भाषा–शिक्षा, रोजगार प्रतिनिधित्व और विकास बजट की मांगें प्रमुख थीं। LBA ने दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल भेजे, संसदीय समितियों से वार्ता की और स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए।

1980 के दशक के अंत में कश्मीर घाटी में उभरे उग्रवाद ने लद्दाख में असुरक्षा की भावना को बढ़ावा दिया। जुलाई 1989 में लेह में बौद्ध युवकों और मुस्लिम युवाओं के बीच झड़पों के बाद 27 अगस्त 1989 को लेह में केन्द्रशासित प्रदेश (Union Territory) की मांग को लेकर विशाल शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। हजारों लोग सड़कों पर उतरे, जिसमें महिलाएँ और बुजुर्ग भी शामिल थे। पुलिस कार्रवाई में तीन बौद्ध युवकों जैसे त्सेरिंग नोरबू, त्सेरिंग ल्हामो और छिरिंग डोलकर की मौत हो गई, जो लद्दाख के आधुनिक इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है [22]A LBA अध्यक्ष थुप्स्तान छेवांग को गिरफ्तार किया गया, जिससे आंदोलन तीव्र हो गया। लेह (बौद्ध बहुल) ने केन्द्रशासित प्रदेश की मांग की, जबकि कारगिल (मुस्लिम बहुल) जम्मू–कश्मीर के साथ रहने पर जोर दिया, जिससे सांप्रदायिक तनाव चरम पर पहुँचा। आंदोलन में व्यापारिक हड़ताल, सरकारी बहिष्कार और दिल्ली मार्च शामिल थे। लेह में 40 दिनों तक कर्फ़्यू रहा, और आंदोलनकारियों ने कश्मीरी अधिकारियों का बहिष्कार किया।

अक्टूबर 1989 में LBA, केंद्र सरकार और जम्मू–कश्मीर सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौते से लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (LAHDC) की स्थापना का वादा हुआ। लेह LAHDC 1995 में और कारगिल LAHDC 1997 में गठित हुई। प्रत्येक परिषद में 30 सदस्य (26 निर्वाचित, 4 नामित) होते हैं, जो पंचवर्षीय निर्वाचन से चुने जाते हैं [23]A LAHDC को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, लोक निर्माण, पर्यटन, पशुपालन आदि 29 विषयों पर कार्यकारी और वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हुईं, किंतु भूमि, वित्त, पुलिस और विधायी मामलों पर सीमाएँ रहींय यह उपराज्यपालध्कमिश्नर के अधीन कार्य करती है। LAHDC ने स्थानीय विकास को गति दी जैसे लेह LAHDC ने सड़कें, स्कूल, अस्पताल बनवाए, जबकि कारगिल ने जल प्रबंधन पर जोर दिया किंतु वित्तीय निर्भरता और केंद्रीय हस्तक्षेप से असंतोष बना रहा। LAHDC का बजट राज्य सरकार पर निर्भर था, और भूमि आवंटन जैसे मुद्दों पर टकराव आम थे।

5 अगस्त 2019 को संविधान (अनुप्रयोग) आदेश 272/273 के माध्यम से अनुच्छेद 370/35। का प्रभावी निरस्तीकरण और जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 से लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को केन्द्रशासित प्रदेश बना। लेह–आधारित LBA और BJP ने इसे ऐतिहासिक विजय माना, क्योंकि इससे कश्मीर–प्रधानता समाप्त हुई। किंतु कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (KDA) ने विरोध किया, क्योंकि विधानसभा–रहित UT में स्थानीय

प्रतिनिधित्व कमजोर होता [24]A अनुच्छेद 35। के निरस्तीकरण से भूमि–रोजगार संरक्षण की आशंका बढ़ी। 2020 में अधिवास (domicile) नियम लागू हुए, जो स्थानीय लोगों (15 वर्ष निवास) को सरकारी नौकरियोंध्भूमि में प्राथमिकता देते हैं, किंतु पूर्ण संरक्षण नहीं।

2020–21 से LBA और KDA ने संयुक्त रूप से चार मुख्य मांगें उठाईंः (1) पूर्ण राज्य का दर्जा (विधानसभा सहित), (2) संविधान की छठी अनुसूची (जनजातीय स्वायत्त जिला परिषदों के लिए, 97% जनजातीय आबादी के संरक्षण हेतु), (3) लेह–कारगिल के लिए दो लोकसभा सीटें, (4) लद्दाख लोक सेवा आयोग। जनवरी 2024 में गृह मंत्री अमित शाह ने LBA&KDA प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की और अनुच्छेद 371 जैसे विशेष प्रावधानों पर विचार का आश्वासन दिया [25]A 24 सितंबर 2025 को लेह में राज्य दर्जा और संवैधानिक संरक्षण की मांग पर हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें चार प्रदर्शनकारियों की मौत और 80–100 से अधिक घायल हुएय पुलिस वाहनों पर आगजनी और कर्फ्यू लगाया गया। केंद्र ने सोनम वांगचुक के भड़काऊ बयानों को जिम्मेदार ठहराया।

2024 लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार हाजी हनीफा जान ने BJP के ताशी ग्याल्सोन को 65,259 बनाम 31,956 वोटों से हराया, जो स्वायत्तता मांगों का जनादेश दर्शाता है। 2025 में केंद्र ने 33 सदस्यीय विधानसभा घोषित की, किंतु राज्य दर्जा अस्वीकार कियाय LBA-KDA ने इसे अपर्याप्त बताया। फरवरी 2026 तक केंद्र ने छठी अनुसूचीध्राज्य दर्जा ठुकराया [26]A लेह (बौद्ध) और कारगिल (मुस्लिम) के बीच ऐतिहासिक विभाजन अब कम हो रहा हैय दोनों संयुक्त रूप से राज्य दर्जा मांग रहे हैं, जो लद्दाखी एकता का प्रतीक है। चुनौतियाँ बनी हैंः LAHDC की भूमिका कमजोर होना, बाहरी निवेश से भूमि–संरक्षण चिंता, तथा जनजातीय पहचान का संकट। यह शोध–खंड दर्शाता है कि लद्दाख की राजनीति उपेक्षा से स्वायत्तता की ओर विकसित हुई है, किंतु पूर्ण समाधान के लिए संवैधानिक गारंटी आवश्यक है।

लद्दाख की विशिष्ट चुनौतियां और भविष्य की दिशा

लद्दाख पारिस्थितिकी की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है, जहाँ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। हिमालयी ग्लेशियरों का तीव्र पिघलाव, बर्फीले दर्रों का कम होना, तथा अनियमित वर्षा–स्खलन पैटर्न ने जल संसाधनों को गंभीर संकट में डाल दिया है। लद्दाख के ग्लेशियर क्षेत्र में 1650 ईस्वी के लिटिल आइस एज के बाद से 40% कमी आ चुकी है, जिससे भूजल पुनर्भरण प्रभावित हुआ है और चुमिक (प्राकृतिक झरने) सूख रहे हैं [27]A पर्यटन विस्तार ने इस संकट को और गहरा किया जैसे 2023 में 5.25 लाख पर्यटक आए, जबकि लेह की स्थानीय आबादी मात्र 31,000 हैय इससे प्रतिदिन हजारों वाहनों से निकलने वाले धुएँ ने हवा की गुणवत्ता खराब की, ग्लेशियरों पर कार्बन–सूट जमा होकर पिघलाव तेज किया, तथा प्लास्टिक कचरा (पैंगोंग जैसे स्थलों पर प्रतिदिन 5,000–10,000 बोतलें) जल स्रोतों को प्रदूषित कर रहा है। कचरा प्रबंधन प्रणाली की कमी से उच्च ऊँचाई पर प्लास्टिक धीरे विघटित होता है, जो पारिस्थितिकी संतुलन को भंग कर रहा है। टिकाऊ पर्यटन मॉडल, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, क्षमता–आधारित पर्यटन और पर्यावरण शिक्षा आवश्यक हैं।

लद्दाख भारत की सामरिक सुरक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK), चीन के शिनजियांग और तिब्बत, तथा अक्साई चिन के साथ लंबी सीमाएँ साझा करने से यह क्षेत्र संवेदनशील है। वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर 2020 का गलवान घाटी संघर्ष जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए [28]A चीन की चौंगथांग नदी पर बाँध निर्माण, CPEC (चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा) का अक्साई चिन से गुजरना तथा शिनजियांग–तिब्बत राजमार्ग भारत की चिंताएँ बढ़ाते हैं। भारत ने जवाब में सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा दौलत बेग ओल्डी (DBO) तक डीएसडीबीओ सड़क (2023 पूर्ण) और सासोमा–ससेर ला–ब्रंगसा–गापशान–डीबीओ सड़क जैसी परियोजनाएँ शुरू कीं, जो लेह–डीबीओ को 6 घंटे में जोड़ती हैं। ये प्रयास सैन्य गतिशीलता मजबूत करते हैं, किंतु पर्यावरणीय प्रभाव (ग्लेशियर सड़कें) और स्थानीय समुदायों पर दबाव नई चुनौतियाँ पैदा कर रहे हैं।

लद्दाख के लोगों को केन्द्रशासित प्रदेश बनने के बाद बिना संवैधानिक संरक्षण के बाहरी प्रवासियों से जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक खतरे की आशंका है। अनुच्छेद 35। निरस्तीकरण से भूमि खरीद–बिक्री खुली, जिससे पर्यटन/सैन्य बुनियादी ढांचे के नाम पर बाहरी निवेश बढ़ा [29]। 97% जनजातीय आबादी भूमि पर निर्भर है, और बाहरीकरण से सांस्कृतिक पहचान, भाषा तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था खतरे में है। यही कारण है कि छठी अनुसूची (स्वायत्त जिला परिषदें, भूमि–विवाह–कृषि पर कानून बनाने का अधिकार) या अनुच्छेद 371 (विशेष प्रावधान, पूर्वोत्तर राज्यों की तरह भूमि–रोजगार संरक्षण) की मांग तेज हुई। अधिवास नियम प्राथमिकता देते हैं, किंतु पूर्ण गारंटी नहीं।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है, किंतु गुणवत्ता–पहुँच में कमी बनी है। IIT लद्दाख (2022) और AIIMS ने उच्च शिक्षा–चिकित्सा को बढ़ावा दिया, किंतु दूरदराज गाँवों में बुनियादी स्कूल–अस्पताल सीमित हैं। SECMOL ने लद्दाखी भाषा–पर्यावरण आधारित वैकल्पिक शिक्षा विकसित की, जो कक्षा 10 फेल युवाओं को सशक्त बनाती है। पारंपरिक अमची चिकित्सा (सोवा रिग्पा) को आधुनिक प्रणाली से एकीकृत करने हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान स्थापित हुआ, जो जड़ी–बूटियों पर आधारित उपचार को प्रमाणित करता है। युवा पलायन रोकने हेतु कौशल विकास आवश्यक है [30]A

आर्थिक आत्मनिर्भरता हेतु कृषि उत्पादकता वृद्धि (सिंचाई, जैविक खेती), पारंपरिक शिल्प विपणन (पश्मीना, थांगका), नवीकरणीय ऊर्जा (10–13 जीडब्ल्यू सौर) और टिकाऊ पर्यटन पर जोर दें। मौसमी पर्यटन को वर्षभर फैलाएँ, लघु उद्योग प्रोत्साहित करें। संवैधानिक संरक्षण लद्दाख के लिए संतुलित समाधान है [31]। अनुच्छेद 371 भूमि–रोजगार–संस्कृति सुरक्षित रखेगा, जबकि छठी अनुसूची स्वायत्त परिषदें देगी। पूर्वोत्तर अनुभवों से सीखकर लद्दाख–विशिष्ट मॉडल बनाएँ, जो स्थानीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय हितों को जोड़े। भविष्य में पर्यावरण–सुरक्षा–विकास का त्रिवेणी संतुलन लद्दाख को मॉडल UT बना सकता है।

निष्कर्ष

लद्दाख की यात्रा परंपरा से परिवर्तन तक एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, जो सामाजिक–सांस्कृतिक समृद्धि, आर्थिक संभावनाओं तथा राजनीतिक आकांक्षाओं के इर्द–गिर्द घूमती है। यह क्षेत्र बौद्ध और मुस्लिम समुदायों के सह–अस्तित्व, पारंपरिक ज्ञान का आधुनिक विकास से संतुलन तथा स्थानीय पहचान का राष्ट्रीय एकता से समन्वय दर्शाता है। 2019 में केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख को बेहतर बुनियादी ढांचा, शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आर्थिक निवेश जैसे नए अवसर प्राप्त हुए, किंतु संवैधानिक संरक्षण की कमी, सीमित राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पर्यावरणीय संकट तथा जनसांख्यिकीय चिंताओं ने गंभीर चुनौतियां खड़ी की हैं।

लद्दाख के लोग पूर्ण राज्य दर्जा तथा अनुच्छेद 371 या छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक संरक्षण की मांग कर रहे हैं, ताकि भूमि, रोजगार, संस्कृति एवं पहचान सुरक्षित रहे। लेह एपेक्स बॉडी (LAB) तथा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) की चार–सूत्री मांगों जैसे राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची, स्थानीय रोजगार तथा अलग संसदीय सीटें ने 2025–26 में आंदोलनों को तेज किया। केंद्र ने फरवरी 2026 में लद्दाख को राज्य का दर्जा ठुकरा दिया, मुख्यमंत्री पद तथा अनुच्छेद 371–जैसे प्रावधान प्रस्तावित किए, किंतु LAB.KDA ने अस्वीकार कर दिया। विधानसभा–रहित UT स्थिति ने राजनीतिक असंतोष बढ़ाया है।

पर्यावरणीय संकट गहरा रहा जैसे ग्लेशियर पिघलाव, जल कमी तथा 2025 की हिंसा–बारिश ने पर्यटन ठप कर दिया, जिससे जीडीपी प्रभावित हुई। स्नातक बेरोजगारी 26.5% पहुंची, लोक सेवा आयोग का अभाव बाहरी भर्ती बढ़ा रहा। LAHDC की शक्तियां सीमित हो गईं, जिससे स्थानीय विकास बाधित है। फिर भी, 2025 तक इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार से प्रगति हुई। लद्दाख भारतीय असममित संघवाद (asymmetric federalism) की प्रासंगिकता रेखांकित करता है, जहां पूर्वोत्तर राज्यों की तरह विशेष प्रावधान आवश्यक हैं। छठी अनुसूची स्वायत्त

परिषदें मजबूत बनाएगी, अनुच्छेद 371 भूमि–रोजगार सुरक्षित करेगा। यह मॉडल स्थानीय स्वायत्तता, सांस्कृतिक संरक्षण तथा राष्ट्रीय एकता संतुलित करेगा।

लद्दाख का भविष्य केंद्र–स्थानीय सहयोग पर निर्भर जैसे टिकाऊ पर्यटन, जैविक कृषि, पारंपरिक शिल्प, नवीकरणीय ऊर्जा तथा शिक्षा–स्वास्थ्य विस्तार प्राथमिकताएं हैं। भाषाई विविधता (भोटी/लद्दाखी) एवं पारिस्थितिक संवेदनशीलता का सम्मान जरूरी। विकास आर्थिक संकेतकों से परे सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक संरक्षण, पर्यावरण स्थिरता तथा राजनीतिक सशक्तीकरण में निहित है। यदि आवाज सुनी जाए, तो लद्दाख समावेशी मॉडल बनेगा – परंपरा संजोते परिवर्तन अपनाते।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत सरकार. (2020). लद्दाखः भौगोलिक और जनसांख्यिकीय प्रोफाइल. जनगणना विभाग.
2. भारत की जनगणना. (2011). लद्दाख जिला जनगणना रिपोर्ट. भारत सरकार.
3. ABP Live. (2025). लद्दाख में मुसलमानों की आबादी कितनी? https://www-abplive-com/news/india/muslim-population-in-ladakh.
4. Down to Earth Hindi- (2025). लद्दाखः प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के बीच संघर्ष की कहानी. https://hindi-downtoearth-org-in/development/ladakh-cultural-heritage.
5. GK Today- (2021). लद्दाख की संस्कृति. https://www-gktoday-in/hindi/ladakh-culture.
6. News18 Hindi. (2019). जानिए लद्दाख कैसे बना था भारत और कश्मीर का हिस्सा. https://hindi-news18-com/news/knowledge/ladakh-history.
7. गृह मंत्रालय. (2019). जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019. भारत सरकार.
8. Live Hindustan- (2025). लद्दाख में पहली बार हुई मुस्लिम और बौद्धों में एकता. https://www-livehindustan-com/national/ladakh-muslims-buddhists-unity.
9. लेह जिला प्रशासन. (2023). लद्दाख की सामाजिक संरचना और परंपराएं. लद्दाख सरकार.
10. UNESCO- (2022). Endangered Languages in Ladakh- United Nations Educational Scientific and Cultural Organization-
11. SECMOL, (2024). Sustainable Development Initiatives in Ladakh- Students^ Educational and Cultural Movement of Ladakh.
12. PIB, (2025). पश्मीना से खुबानी तकः लद्दाख की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए GST में कटौती. https://www-pib-gov-in/PressReleseDetailm-aspx\PRID¾2181408.
13. PIB- (2025). लद्दाख में पारंपरिक शिल्प और रोजगार- https://www-pib-gov-in/FactsheetDetails-aspx\Id¾150405.
14. PIB- (2025). स्थानीय पर्यटन और होमस्टेः लद्दाख की सेवा अर्थव्यवस्था. https://www-pib-gov-in/FactsheetDetails-aspx\Id¾150405.
15. PIB- (2025). लद्दाख में जैविक खेती का विकास. https://www-pib-gov-in/FactsheetDetails-aspx\Id¾150405.
16. वित्त मंत्रालय. (2023). लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेश बजट 2022–23. भारत सरकार.
17. नीति आयोग. (2024). लद्दाख में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता. भारत सरकार.
18. IBEF, (2025). Industrial Development&Economic Growth in Ladakh- https://www-ibef-org/states/ladakh.
19. योजना आयोग. (2025). लद्दाख आर्थिक विकास रिपोर्ट. भारत सरकार.

20. Leh District Administration- (1995). Ladakh Autonomous Hill Development Council Establishment and Functions, Ladakh Government.
21. LAHDC Leh- (2024). LAHDC संरचना और शक्तियां. https://leh-nic-in/lahdcleh/.
22. गृह मंत्रालय. (2019). जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019ः लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेश. भारत सरकार.
23. गृह मंत्रालय. (2020). लद्दाख अधिवास (क्वउपबपसम) नियम, 2020. भारत सरकार.
24. The Hindu- (2024). Amit Shah assures Ladakh leaders on statehood and constitutional safeguards, https://www-thehindu-com.
25. NDTV, (2025, September 24). लद्दाख हिंसाः राज्य का दर्जा की मांग में 4 की मौत, 80 घायल. https://www-ndtv-com.
26. Live Hindustan- (2025). लद्दाख में बौद्ध और मुस्लिमों की एकताः न्ज से राज्य की मांग. https://www-livehindustan-com/national/ladakh-unity.
27. चुनाव आयोग. (2024). लोकसभा चुनाव परिणाम 2024ः लद्दाख. भारत निर्वाचन आयोग.
28. गृह मंत्रालय. (2025). लद्दाख विधानसभा की घोषणा. भारत सरकार.
29. The Hindu- (2020). Galwan Valley Clash, India-China Border Tension- https://www-thehindu-com.
30. Leh Apex Body- (2024). लद्दाख के लिए संवैधानिक संरक्षण की मांग. लद्दाख संगठन.
31. नीति आयोग. (2025). लद्दाखः आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा. भारत सरकार.

❑❑❑